



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा, जिला-राजसमन्द

संख्या - 108/1595 शीर्षक.....

बनाम.....

कार्यवाही प्रकरण

6/4/15 प्राप्ति दि आई के अधिवक्ता ने प्रपत्र आदेश 9 निमित्त 9 cpe के तहत इस्सूट किया। जिसे 24 सप्टेम्बर किया जाकर अधिवक्ता प्राप्ति दि एक वरमा लक्ष पुत्री गयी। अधि प्राप्ति ने निवेदन किया कि पत्रालय कारो (पत्रालय निमित्त की) में राजपत्र के धरेकी का क्षीमा के न्यायालय में अपील एक एक अपील धरेकी अपील वाली में खारिज दि जा चुकी है। इसे पुनः नगद पर किया जाने का आदेश पडान कलमा जावे।

प्राप्ति का प्रपत्र 0929 का स्वीकार किया जाकर मूलवाप पुनः 24 सप्टेम्बर किया जावे। पत्रालय फिलाल शुभार होकर नगद के कर दि जाकर मूलवाप के लक्ष तांलान दि जावे।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा